रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252964
CG-DL-E-13032024-252964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 156] | नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945 |
| No. 156] | NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945 |

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

## (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

## (क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

**सा.का.नि. 168(अ).—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता –** वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम । | पद की संख्या । | वर्गीकरण । | वेतन मैट्रिक्स में स्तर । | चयन पद अथवा अचयन पद । |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 10* (2024)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन स्तर – 10 (56100 - 177500 रू.) | चयन पद। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा । | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं । | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। |

| भर्ती की पध्दति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति। | **प्रोन्नति द्वारा:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 7 (44900-142400 रू.) में क्षेत्र संकार्य प्रभाग के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशासन, स्थापना और लेखा के क्षेत्र में पाँच सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। |

| | |
|---|---|
| | **टिप्पण-1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण करने वाले पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष की पात्रता सेवा बनी रहेगी ।<br><br>**टिप्पण-2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति द्वारा:**<br><br>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी -<br><br>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या**<br><br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53,100-1,67,800 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;<br><br>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो;<br><br>(iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br><br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:-<br><br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।<br><br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी संगठन में प्रशासन, स्थापना और लेखा संकर्म में तीन वर्ष का अनुभव।<br><br>**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br><br>**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|
| (12) | (13) |
| समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :<br>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष | प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | |
|---|---|
| 2. अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय),<br>राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय – सदस्य<br>3. उप महानिदेशक (प्रशासन) या संयुक्त सचिव (प्रशासन),<br>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय – सदस्य<br>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :<br>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय - अध्यक्ष<br>2. अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय),<br>राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय – सदस्य<br>3. उप महानिदेशक (प्रशासन) या संयुक्त सचिव (प्रशासन),<br>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय – सदस्य | |

[फा. सं. ए-11018/06/2020- ई.III (ई-30156)]

नीलम अरोड़ा, अवर सचिव

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**

**(National Sample Survey Office)**

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2024

**G.S.R. 168(E).—**In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Senior Administrative Officer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Senior Administrative Officer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** – The number of post, its classification and pay level attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc..** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of Post.** | **Number of Post.** | **Classification.** | **Level in the Pay Matrix.** | **Whether selection post or Non-selection Post.** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| Senior Administrative Officer. | 10* (2024)<br>*(Subject to variation dependent on workload.) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial. | Pay level – 10<br>(₹56100 - ₹177500). | selection post. |

| **Age-limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years for promotees. | Promotion failing which Deputation. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.** |
|---|
| **(11)** |
| **By promotion:** Administrative Officer in Field Operations Division in pay level - 7 (₹44900 - ₹142400) in the pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed training of five weeks in the field of administration, establishment and accounts from a recognized Training Institution.<br>**Note-1:** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.<br>**Note-2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**By deputation**:<br>Officers of the Central Government, State Government or Union Territory –<br>**(a)** (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; **or**<br>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in pay level-9 (Rs.53,100-1,67,800) in the pay matrix or equivalent;<br>(iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in pay level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent;<br>(iv) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in pay level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent; and |

**(b)** possessing the following educational qualifications and experience:-

(i) a Bachelor Degree of a recognised University or institute;

(ii) Three years experience in administration or establishment or accounts works in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Organization or Statutory Organisation.

**Note 1**: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2**: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications.

| **If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:<br>**1.** Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman;<br>**2.** Additional Director General, Field Operations Division (Headquarter), National Sample Survey Office – Member;<br>**3.** Deputy Director General (Administration) or Joint Secretary (Administration), Ministry of Statistics and Programme Implementation - Member.<br>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:<br>**1.** Director General, National Sample Survey – Chairman;<br>**2.** Additional Director General, Field Operations Division (Headquarter), National Sample Survey Office – Member;<br>**3.** Deputy Director General (Administration) or Joint Secretary (Administration), Ministry of Statistics and Programme Implementation - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion. |

[F. No. A-11018/06/2020-E.III (E-30156)]

NEELAM ARORA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.13 23:51:13 +05'30'